न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 11/2020(2020/00157)

अनवान : –

सुलतान पुत्र सांवलराम जाति धाणक निवासी गदरा तहसील भादरा।

प्रार्थी

बनाम

1. जयसिंह पुत्र श्योचन्द जाति धाणक निवासी गदरा तहसील भादरा।
2. रामकिशन पुत्र श्योचन्द जाति धाणक निवासी गदरा तहसील भादरा।
3. रामनिवास पुत्र श्योचन्द जाति धाणक निवासी गदरा तहसील भादरा।
4. सुभाषचन्द्र पुत्र श्योचन्द जाति धाणक निवासी गदरा तहसील भादरा।
5. ओबीसी बैंक जरिये शाखा प्रबंधक शाखा भादरा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता
अन्तर्गत धारा धारा 251ए राजस्थान कास्तकारी
अधिनियम

उपस्थिति :– श्री दलीप झोरड़ प्रार्थी
श्री कृष्ण गर्ग अप्रार्थीगण

आदेश दिनांक : 12.10.21

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि तहसील भादरा के रोही मौजा ग्राम गदरा के खाता संख्या 113/111 के खसरा न0 5/1 की 1.239 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 102/1 की 4.553 हैक्टेयर इस प्रकार कुल खसरा 2 की कुल 5.792 हैक्टेयर बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इसी प्रकार रोही मौजा गदरा के खाता संख्या 32/30 के खसरा न0 5/2 की 1.227 हैक्टेयर खसरा नम्बर 102/2 की 4.173 हैक्टेयर कुल खसरा 2 की कुल 5.400 हैक्टेयर अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के नाम खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

प्रार्थी एवं अप्राथीगण के पिता आपस में सगे भाई थे। वादी भूमि पहले प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के पिता श्योचन्द की मुश्तर्का खातेदारी हुआ करती थी। खसरा नम्बर 5 की भूमि के पश्चिमी तरफ उत्तर से दक्षिण रास्ता है। वाद भूमि का विभाजन करते समय खसर नम्बर 5 का पश्चिमी तरफ का भाग प्रार्थी के भाई के खाते में आ गया था तथा पूर्वी भाग प्रार्थी के हिस्सा में आ गया था। खसरा नम्बर 5 के पश्चिमी तरफ से स्वीकृत रास्ता से होकर प्रार्थी अपने हिस्सा में आई खसरा नम्बर 5/1 में आवागमन अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 5/2 से सदामत से आवागमन करता आ रहा है। इसके अलावा प्रार्थी की खातेदारी मे आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता स्वीकृत अथवा चालू नही है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्रकरण संख्या 11/2020 अनवान सुलतान बनाम जयसिंह आदि बाबत रास्ता

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रशासन गांव के संग अभियान में फर्द मौका तैयार किया गया, जिस पर सभी पक्षकारानों ने आपसी सहमति से रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु निवेदन किया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है, मुताबिक राजीनामा एवं फर्द मौका के अनुसार रास्ता स्वीकृत फरमाया जावें।

विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी की खातेदारी में आवागमन का कोई रास्ता नही है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने के कारण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है कि अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के नाम रोही मौजा ग्राम गदरा के खसरा नम्बर 5/2 में दक्षिणी दिशा में पश्चिम से पूर्वी की ओर एक गट्ठा चौड़ा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। प्रार्थी के नाम खसरा नम्बर 5/1 से रास्ता के एवज में जाने वाली भूमि को कम किया जाकर अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जावें।

निर्णय आज दिनांक 12.10.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़